न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा

पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1259/2026

(CNR No. UPET010042702026)

राजकुमार उर्फ राजू उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र सूरजपाल, निवासी बड़ा बाजार कस्बा व थाना निधौली कलॉ, जिला एटा। ----आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

मु०अ०सं०–17/2026
धारा–109(1) बी०एन०एस० एवं
30 आयुध अधिनियम
थाना–निधौली कलॉ, जिला एटा।

10.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **राजकुमार उर्फ राजू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–17/2026 अन्तर्गत धारा–109(1) **बी०एन०एस०** एवं **30 आयुध अधिनियम,** थाना **निधौली कलॉ**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 18.02.2026 को वादिनी शिवानी के ससुर राजकुमार उर्फ राजू शराब पीकर घर में उधम मचा रहे थे। उसके पति सुनील कुमार ने उन्हें रोको, तो उसके ससुर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की नीयत से गोली मार दी, गोली उसके पति के मुँह में लगी हुई है। यह घटना समय करीब 04.00 शाम के समय घर के अन्दर की है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है। मेडीकल रिपोर्ट में साधारण चोटें हैं, जिससे जान का जाना संभव नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना घर के अन्दर की है तथा नक्शा में घटनास्थल घर के बाहर का है। यह भी तर्क दिया गया है कि सुनील के बयान के अनुसार कोई छर्रा नहीं मिला तथा जमीन का विवाद चल रहा था, माना है। बन्दूक की वैलेस्टिक रिपोर्ट भी नहीं कराई गई है, जिससे बन्दूक के फायर की ड्यूरेशन का पता चलता। बन्दूक से दिनांक 18.02.2026 में कोई फायर नहीं हुआ है। निष्पक्ष गवाह भी घटना स्थल का नहीं है। वादिनी एवं उसके पति ने आवेदक की सम्पत्ति पाने के लिये यह झूठी घटना बनायी है, जबकि पूरी घटना साजिशी है एवं गिरफ्तारी भी घर से ही है, बरामदगी घर में दर्शायी गयी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.10 14:53:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से अपने पुत्र पर आग्नेयास्त्र से फायर किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर शराब पीकर घर में शोर करने, रोकने पर वादिनी के पति/अपने पुत्र सुनील पर जान से मारने की नीयत से आग्नेयास्त्र से फायर करने का अभियोग है। चुटैल सुनील कुमार की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके पहली चोट फटे हुए घाव की, जिस पर ब्लैक टैटूइंग मौजूद है एवं दूसरी चोट नीलगू चोट की आना अंकित है। चुटैल की एन०ई०सी०टी० स्कैन फेस रिपोर्ट के अनुसार उसके बाएँ गाल के त्वचा के नीचे के ऊतकों में विभिन्न स्थानों पर धातु–घनत्व वाले अनेक छोटे–छोटे कण पाये गये, जो छर्रों के अनुरूप हैं। पत्रावली पर चुटैल की पूरक परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसमें चुटैल की पहली चोट गंभीर प्रकृति की होना एवं आग्नेयास्त्र के फायर से आना अंकित है।

प्रकरण में दौरान गिरफ्तारी आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डीबीबीएल एन गन 12 बोर बरामद हुई है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध प्रथम दृष्ट्या गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये इस स्तर पर मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **राजकुमार उर्फ राजू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–17/2026 अन्तर्गत धारा–109(1) **बी०एन०एस०** एवं 30 **आयुध अधिनियम,** थाना **निधौली कलॉ**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(राकेश धर दुबे)

दिनॉकः 10.07.2026 सत्र न्यायाधीश, एटा।